

?



कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

—ज्ञापन—

क्रमांक
प्रति,

क/भू-अर्जन/24/2014

जगदलपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

0000

कावारास व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु ग्राम छिन्दावाला तहसील दरभा की निजी भूमि 1.482 हेक्टेयर, एवं ग्राम तीरथगढ़ तहसील दरभा की निजी भूमि 0.63 हेक्टेयर, कार्यपालन अभियंता टी0डी0पी0पी0 जल संसाधन संभाग जलजगदलपुर के पक्ष में अर्जन के परिपेक्ष्य में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-4 (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल से प्राप्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की छायाप्रतियाँ संलग्न हैं। कृपया उक्त प्रतिवेदन कलेक्टर, बस्तर के वेबसाईड पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर कलेक्टर,
बस्तर जिला

कार्यपालन अभियंता, टी0डी0पी0पी0 जल संसाधन संभाग जगदलपुर द्वारा कावारास व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु ग्राम तीरथागढ़ पटवारी हल्का नम्बर-112 । राजस्व निरीक्षण मण्डल दरभा, तहसील दरभा जिला बस्तर स्थित में निजी भूमि कुल रकबा 0.63 हेक्टेयर अर्जन किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 (1) के तहत प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन ।

कावारास व्यपवर्तन योजनान्तर्गत, नहर निर्माण हेतु ग्राम तीरथागढ़ पटवारी हल्का नम्बर-112 राजस्व निरीक्षण मण्डल दरभा, तहसील दरभा जिला बस्तर स्थित में निजी भूमि कुल रकबा 0.63 हेक्टेयर अर्जन किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के तहत प्रभावित ।


क्षेत्र का सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-


- (क) कावारास व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु ग्राम तीरथागढ़ पटवारी हल्का नम्बर-112, राजस्व निरीक्षण मण्डल दरभा, तहसील दरभा जिला बस्तर स्थित निजी भूमि कुल रकबा 0.63 हेक्टेयर का अर्जन किये जाने से लोक प्रयोजन पूरा होता है ।
- (ख) प्रस्तावित भूमि अर्जन से ग्राम तीरथागढ़ के 06 परिवार प्रभावित हो रहे हैं । जिससे उनके परिवार का विस्थापित नहीं हो रहा है ।
- (ग) कावारास व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम तीरथागढ़ के परिवार के निजी भूमि प्रभावित अर्जन से प्रभावित होगा, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के सार्वजनिक भूमि, मकान एवं अन्य संपत्तियों का प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित नहीं होगा ।
- (घ) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना/योजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की है । किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार नहीं किया गया है ।
- (ङ) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है ।


(घ). परियोजना/योजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठाक करने की प्रकृति और खर्च तथा खर्चों का परियोजना से लाभ के अनुपात: में बहुत ही न्यूनतम हैं ।

(छ) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि से प्रभावित कुटुम्बों की जीविका, लोक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा उप संरचना, विशिष्टता सड़कों, लोक परिवहन, जल निकास संकर्म, स्वच्छता, पेयजल के स्रोत, पशुओं के लिए जल के स्रोत, सामुदायिक जलाशय, चरागाह, बागान, जन सुविधाओं जैसे डाकघर, उचित कीमत दुकान, खाद्य भंडारण, गोदाम, विद्युत् प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ, विद्यालय, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण सुविधाएँ आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, पूजा स्थल, पारम्परिक जनजाति संस्थाएँ और कब्रिस्थान, शमशान घाट इत्यादि पर कोई प्रभावित नहीं होगा ।


प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं ।


प्राचार्य Principal
महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज
धरमपुरा, बस्तर (छ0ग0)
JAGDA (Bastar) C.G.


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग क्र. 03
जगदलपुर, बस्तर (छ0ग0)


राजस्व निरीक्षक
मण्डल, दरभा
जगदलपुर, बस्तर (छ0ग0)

सरपंच
ग्राम-पंचायत छिन्दावाड़ा
जगदलपुर, बस्तर (छ0ग0)
श्रीमती सेवती नाग
सरपंच
ग्राम पंचायत तीरभगढ़
जनपद पंचायत दरभा, जि.-बस्तर


प्रभावित खातेदार
ग्राम-छिन्दावाड़ा
जगदलपुर, बस्तर (छ0ग0)

कार्यपालन अभियंता, टी0डी0पी0पी0 जल संसाधन संभाग जगदलपुर द्वारा कावारास व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु ग्राम छिन्दावाडा पटवारी हलका नम्बर-13 । राजस्व निरीक्षण मण्डल दरभा, तहसील दरभा जिला बस्तर स्थित में निजी भूमि कुल रकबा 1.482 हेक्टेयर अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं । प्रस्तावित भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 (1) के तहत प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन ।

कावारास व्यपवर्तन योजनान्तर्गत, नहर निर्माण हेतु ग्राम छिन्दावाडा पटवारी हलका नम्बर-13 राजस्व निरीक्षण मण्डल दरभा, तहसील दरभा जिला बस्तर स्थित में निजी भूमि कुल रकबा 1.482 हेक्टेयर अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं ।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के तहत प्रभावित ।

क्षेत्र का सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) कावारास व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु ग्राम छिन्दावाडा पटवारी हलका नम्बर-13, राजस्व निरीक्षण मण्डल दरभा, तहसील दरभा जिला बस्तर स्थित निजी भूमि कुल रकबा 1.482 हेक्टेयर का अर्जन किये जाने से लोक प्रयोजन पूरा होता हैं ।
- (ख) प्रस्तावित भूमि अर्जन से ग्राम छिन्दावाडा के 06 परिवार प्रभावित हो रहे हैं । जिससे उनके परिवार का विस्थापित नहीं हो रहा हैं ।
- (ग) कावारास व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम छिन्दावाडा के 06 परिवार के निजी भूमि प्रभावित अर्जन से प्रभावित होगा, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के सार्वजनिक भूमि, मकान एवं अन्य संपत्तियों का प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित नहीं होगा ।
- (घ) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना/योजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की हैं । किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार नहीं किया गया हैं ।
- (ङ) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया हैं और उसे साध्य नहीं पाया गया हैं ।

